

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्ध अनुभाग-1,

देहरादून: दिनांक 13 सितम्बर, 2018

विषय:-

चारधाम यात्रा मार्गों एवं मानसून अवधि के दौरान राज्य के अति संवेदनशील 20 स्थानों पर खोज एवं बचाव दलों की तैनाती तथा देय मानदेय इत्यादित मदों हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-218/DMMC/XIV-34(2013), दिनांक 06.06.2018 के द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों एवं मानसून अवधि के दौरान राज्य के अति संवेदनशील स्थानों पर खोज एवं बचाव दलों की तैनाती तथा उन्हें देय मानदेय इत्यादि मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल धनराशि रू0 35.00/- लाख (₹ पैंतीस लाख मात्र) की बजट व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चारधाम मार्गों एवं मानसून अवधि के दौरान राज्य के अति संवेदनशील 20 स्थानों पर खोज एवं बचाव दलों की तैनाती तथा उन्हें देय मानदेय इत्यादि मदों हेतु कुल धनराशि रू0 35.00/-लाख (₹ पैंतीस लाख मात्र) आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अंतर्गत 42-अन्य व्यय मद से निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एकमुश्त आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल खोज एवं बचाव दलों के मानदेय इत्यादि में किया जायेगा। धनराशि का गलत उपयोग होने पर अधिशाली निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र का उत्तरदायित्व होगा।

3- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्ययपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे धनराशि दिनांक 31.03.2019 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

4- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बिलों को सचिव, आपदा प्रबन्धन से प्रति हस्ताक्षरित कराकर ही कोषागार से आहरण किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा डी0एम0एम0सी0 द्वारा रखा जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-06 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-102-02-आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या-144 मतदेय वित्त अनुभाग-05/2018-19, दिनांक 11, सितम्बर, 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या- ()/XVIII-(2)/18-01(2)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, झालनवाला, देहरादून।
- 7- प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव